SHAKUNTALAM INSTITUTE OF TEACHERS EDUCATION

KIRHINDIH, KUMHAU STATION ROAD, SHIVSAGAR

COURSE NAME – B.Ed. SESSION – 2021-2023

SUBJECT – भारतीय शिक्षा का इतिहास

TOPIC NAME – माध्यमिक शिक्षा आयोग (1964-66) कोठारी आयोग

DATE –

5 त्रिभाषा सूत्र में संशोधन

PAGE NO.
DATE :

1. आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का संशोधन रूप इसप्रकार प्रस्तावित किया।
(i) मातृभाषा या क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक भाषा
(ii) संघ की राजभाषा या सह राजभाषा
(iii) एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जो छात्र ने पाठ्यक्रम में चुनी न हो और जो शिक्षा माध्यम न हो।
2. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी
3. छात्रों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान उपयोगी है।

7 – शिक्षण विधियाँ

आयोग के अनुसार हमारे विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां अभी भी प्राचीन तथा परम्परागत है अतः उनमें सुधार करने के लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिए।

1 शिक्षण विधियों में लचीलेपन एवं गतिशीलता के गुणों का समावेश किया जाना चाहिए।

2 शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षा के अधिकारियों को शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए।

3. नवीन शिक्षण विधियों का प्रसार करने के लिए प्रदर्शनों, वर्कशापों, परीक्षणों, सेमिनारों एवं नए-नए पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए।

PAGE NO.
DATE :

2 शिक्षण विधियों में अनुसंधान कार्य की उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए

8 उच्च शिक्षा

आयोग ने उच्च शिक्षा के लगभग सभी अंगों के विषय में महत्वपूर्ण विचार अंकित किए हैं।

1. विश्वविद्यालयों के लक्ष्य

a नवीन ज्ञान की खोज एवं उसका विकास करना
b समानता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना
c प्रतिभाशाली नवयुवकों की खोज एवं उनको अपनी प्रतिभाओं का विकास करने में सहायता देना
d कला, कृषि, विज्ञान चिकित्सा प्रौद्योगिकी एवं अन्य व्यवसायों के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करना
2. नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना
3 कॉलेजों व वि०वि० में सुधार
4 शिक्षण में सुधार
5 मूल्यांकन में सुधार
6 चयनात्मक प्रवेश प्रणाली
7 विश्वविद्यालय स्वाधीनता

9 स्त्री शिक्षा

स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आयोग ने लिखा है :-
हमारे मानव साधनों के पूर्ण विकास

PAGE NO.
DATE :

परिवारों की उन्नति एवं शैशवावस्था के वर्षों में अत्यधिक सरलता से प्रभावित होने वाले बच्चों के चरित्र का निर्माण करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक है।

आयोग ने बालिकाओं के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विषय में निम्नांकित सुझाव दिए हैं।

1 बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। -

2 माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा की गति इतनी तीव्र कर दी जानी चाहिए कि जिससे 20 वर्ष के अन्त में निम्न माध्यमिक स्तर छात्रों की संख्या का अनुपात 1:3 और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 1:2 हो जाए।

3 पृथक विद्यालयों एवं छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के विषय में निम्नांकित सिफारिशें की हैं।

1 स्त्रियों के लिए छात्रवृत्तियां मितव्ययी छात्रावासों, शिक्षा, गृह विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठ्य विषयों का विस्तार करके उसको उन्नत बनाया जाना चाहिए।

2. स्त्रियों को कला विज्ञान प्रौद्योगिकी

PAGE NO.
DATE :

मानवशास्त्र आदि विषयों में से अपने अध्ययन के विषयों का चुनाव करने की अनुमति दी जानी चाहिए

पाठ्यक्रम –

आयोग ने बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं –

(1) कक्षा 10 के अन्त तक सब बालकों एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए।

(2) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए

(3) माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को विज्ञान या गणित का अध्ययन करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

10 प्रौढ़ शिक्षा -

प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने कहा है कि जितना शीघ्र सम्भव हो देश से निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिए साक्षरता का राष्ट्रीय प्रतिशत 1971 तक 60 और 1976 तक 80 तक बढ़ाया जाना चाहिए।

निरक्षरता उन्मूलन के लिए प्रत्येक शैक्षिक संस्थान को दायित्व दिया जाय तथा महिलाओं में साक्षरता की प्रगति की दिशा में केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रमों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

वयस्क शिक्षा का कार्यक्रम

(1) निरक्षरता का उन्मूलन
2 अनवरत शिक्षा
(3 पत्राचार पाठ्यक्रम
4 पुस्तकालय
5 विश्वविद्यालयों के कार्य
6 संगठन व प्रशासन

11 विज्ञान की शिक्षा

12 कृषि की शिक्षा —

भारत कृषि प्रधान देश है भारत में कृषि की हीन दशा और देश के लिए उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोग ने (1) कृषि विश्वविद्यालय
(2) कृषि कॉलेज
(3) कृषि पालिटेकनिक एवं
(4) विद्यालयों में कृषि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।